

Reply

Reply All

Forward

Delete

Add

View

Print

Cheating by illegal withdrawal of money from the Paytm Account

Mon 6/19/2017 8:02 PM

From: azadi ke diwane

To: ssp.cyber-pb@nic.in

Cc: mukeshthkr232@gmail.com, sonikashiv@yahoo.com

Message

Attachments

Cheating by illegal withdrawal of money from the Paytm Account

- Mukesh Thakur
Mob. 81467-61055
www.ludhiana.bvbja.com

प्रेस नोट : 17 जून 2017
"Paytm" लूटने का एक खतरनाक हथियार

केशलैस के नाम पर Paytm जैसी कई कंपनियों देश में विचरण कर रही हैं जिनके एजेंट तकनीकी खामी का फायदा उठाकर खुद या खुद के साथियों के साथ मिलकर ग्राहकों को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। लूटने वाले के पास पुख्ता सबूत न होने व लूटी गई रकम की राशि वापस पाने में खर्च की जाने वाली रकम से अधिक न होने की वजह से चुपचाप बैठ जाना ही वे उचित समझते हैं परिणाम, इसी वजह से यह लूटमार लगातार जारी है।

ऐसा ही एक मामला संगठन के पास आया है जिसमें एक Paytm एजेंट (अमृतपाल सिंह उर्फ विककी मोब. 99888-50660 पता: मकान नं. 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) द्वारा पीडित लकी उर्फ जयहिंद पुत्र हीरालाल पता: मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड, लुधियाना (मोब. 73554-27270) से 11861/- रु. की रकम लूटी गई है।

पुलिस में (दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559-5c) और दि. 22/05/2017 को कमिश्नर साहब को दी गई शिकायत नं. 114070) शिकायत किये जाने के बावजूद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो संगठन के मार्गदर्शन पर Paytm के नोयडा कार्यालय से लूटी गई रकम किस-किस खाते में गई? की जानकारी ली गई, जो Paytm द्वारा आधिकारिक तौर पर लिखित में ना देकर सादे पेपर पर दी गई जिसके बाद धोखाधड़ी करनेवाले की घेराबंदी की गई तब आरोपी का इंस्पेक्टर भाई पीडित को धमकियाँ देने लगा और कहने लगा कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठ कर दारु पीता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता" मगर संगठन की ताकत के सामने आरोपियों को घुटने टेकने पड़े और 11861/- रु. के बदले 40,000/- रु. के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट देना भी कबूल किया गया मगर 20,000/- रु. देने के बाद आरोपी वापस नहीं आया Paytm एजेंट अमृतपाल सिंह उर्फ विककी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ही जानकार पड़ोसी लकी उर्फ जयहिंद के खाते से पैसे निकाले जबकि लकी उर्फ जयहिंद ने आरोपी के पासपोर्ट के लिये गवाही डाली हुई है इसका मतलब साफ है कि आरोपी (अमृतपाल सिंह उर्फ विककी) ने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही धोखा दिया ऐसे धोखेबाज इन्सान को तो लात-धरू मार कर मुहल्ले से बाहर निकाल देना चाहिये इस वजह से मामले को संबंधित विभागों में भेजा जा रहा है जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके।